

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 142/2019

वादीगण	वनाम	प्रतिवादी
1 दुर्जनसिंह 2 दौलतसिंह 3 सुमेरसिंह 4 उम्मेदसिंह पिसारान रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।		1 रामसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपरिस्थिति :- 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।
2. श्री पंकज चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 20.9.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 भगा के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 2259, 2261, 2267, 2269, 2255, 2277 कुल रकबा 207.09 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में से मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 3254/2259 रकबा 52.02 बीघा भूमि विभाजन के बाद वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह के नाम दर्ज हुई, जिसमें से उक्त वादग्रस्त भूमि रामसिंह के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/5-1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी रामसिंह की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी रामसिंह के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/5-1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/5-1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।


वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी रामसिंह के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3254/2259 रकबा 52.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी रामसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी रामसिंह प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 20-4-19 को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री
अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
दुर्जनसिंह 2 दौलतसिंह 3 सुमेरसिंह 4 उम्मेदसिंह पिसरान रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।		1 रामसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर
दावा बाबत् 88 रा.का.अ.		

मुकदमा नम्बर :- 142/2019

निर्णय दिनांक :- 20.9.19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 3254/2259 रकबा 52.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी रामसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी रामसिंह प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 20.9.19..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	